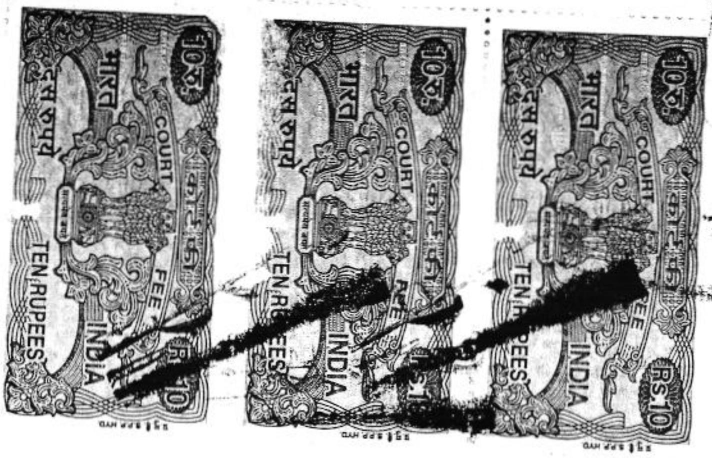

न्यायालय मे- श्री माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

निगरानी-0767/2019/अनूपपुर/भू.रा.

केशव प्रसाद पिता बालमीक शर्मा निवासी- जैतहरी, जिला- अनुपपुर, (संभाग - शहडोल) मध्यप्रदेश ---------------------------------पुनरीक्षण [निगरानी] कर्ता

बनाम

संदीप कुमार पिता रामदास मिश्रा निवासी जैतहरी , जिला -अनुपपुर (संभाग-शहडोल) मध्यप्रदेश------------------------------गैर पुनरीक्षण (निगरानी) कर्ता

पुनरीक्षण (निगरानी) विरुद्ध निर्णय- श्री मान आयुक्त महोदय

संभाग शहडोल (म.प्र.) ब -सिलसिले राजस्व प्रकरण

क्रमांक 0079 / अपील / 2017-2018 आदेशदिनांक 13-05-2019

....

पुनरीक्षण (निगरानी) अंतर्गत धारा ~~50~~ मध्यप्रदेश भू -
राजस्व संहिता 1959

महोदय ,

निगरानीकर्ता निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन करता है ;-

मामले के तथ्य

संक्षेप मे मामला यह है कि ग्राम जैतहरी तहसील जैतहरी जिला - अनुपपुर म.प्र.स्थित आराजी ख. न.906/1 रकबा 0.004हेक्टे.निगरानी कर्ता की पैतृक भू-स्वामित्व की भूमि है जिसमें उसका पुस्तेनी मकान बना हुआ है जिसमे वह मय परिवार निवास करते हुए आबाद है,तथा लगभग आधी भूमि खाली है जिसमें बाउन्ड्री बनी है और एक पेड़ बेल लगा है ।

92

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.-0767/19/अनूपपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-8-19	आवेदक अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। यह प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/5/19 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जो कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25/9/18 के संशोधन पश्चात इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक 20/8/19 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जाने का निवेदन किया गया। अतः आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु मूलतः वापिस किया जाता है। सदस्य	